

अनुदान संख्या 16 - कोरपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 16-MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	146,00,00	107,41,39	-38,58,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			35,08,44
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	55,00,00	6,25,02	-48,74,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			48,74,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	8818.00	6914.40	6739.27
पु.	R.	-1903.60		
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services			
मू.	O.	5782.00	4177.16	4002.12
पु.	R.	-1604.84		

(I) 700.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - भारतीय कोरपोरेट कार्य संस्थान" के अंतर्गत

(I) Provision of Rs.700.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "3475" - "Other Expenditure - Indian Institute

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - कंपनी कार्य मंत्रालय” के अंतर्गत 2078.73 लाख रु. की बचत (8818.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनी कार्य मंत्रालय-21 परियोजना की लागत की अदायगी न किए जाने, गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने और रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3475” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रणालियों का विनियमन - एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली आयोग” - 109.28 लाख रु. की बचत (324.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) “संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन” -

(क) “कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार” - 276.78 लाख रु. की बचत (2235.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “कंपनी अधिनियम के अधीन शासकीय परिसमापक” - 105.03 लाख रु. की बचत (841.54 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) “क्षेत्रीय निदेशक” - 121.07 लाख रु. की बचत (623.36 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) “अन्य व्यय - राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण” - 352.15 लाख रु. की बचत (413.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कानूनी चुनौतियों की वजह से न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किए जाने के कारण हुई।

of Corporate Affairs (IICA)” – due to non-receipt of approval from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretaryat-Ministry of Company Affairs” - saving of Rs.2078.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8818.00 lakhs) was due to non-payment of cost of MCA-21 project, non-receipt of proposals from NGOs and non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head “3475” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Regulation of Monopolies and Restrictive Trade Practices – Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission” – saving of Rs.109.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.324.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) “Regulation of Joint Stock Companies” –

(a) “Registrar of Companies under Companies Act” – saving of Rs.276.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2235.00 lakhs);

(b) “Official Liquidator under Companies Act” – saving of Rs.105.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.841.54 lakhs); and

(c) “Regional Directors” – saving of Rs.121.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.623.36 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(C) “Other Expenditure –National Company Law Tribunal (NCLT)” - saving of Rs.352.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.413.50 lakhs) was due to compliance of court orders owing to legal challenges.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष		Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "5475"		Major Head "5475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		Capital Outlay on Other General Economic Services			
मू.	O.	5500.00	626.00	625.02	-0.98
पु.	R.	-4874.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) 4000.00 लाख रु. का प्रावधान "अन्य व्यय - भारतीय कोरपोरेट कार्य संस्थान के लिए मुख्य निर्माण कार्य" के अंतर्गत आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.4000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Other Expenditure - Major Works for IICA" - due to non-receipt of approval from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) "अन्य व्यय - भूमि/भवन का क्रय/कार्यालय परिसरों/स्टाफ के लिए रिहायशी आवास का निर्माण" के अंतर्गत 874.98 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण लागत की अदायगी न किए जाने की वजह से चंडीगढ़ और कटक में कोरपोरेट भवनों के निर्माण कार्य के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(II) Under "Other Expenditure - Purchase of Land/building/construction of Office Premises/residential accommodation for staff" - saving of Rs.874.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-materialisation of construction of Corporate Bhawans at Chandigarh and Cuttuck owing to non-payment of cost of construction.